

Mahesh Baghel

Advocate

Sadar Tehsil, Agra

Mob. 6396725159

No. 21

Date: - 04.12.2025

NON- ENCRUMBRANCE CERTIFICATE

To,

The Uttar Pradesh Real Estate
Regulatory Authority,
Lucknow

**Ref. Non-Encumbrance Report of "Approximately 21215 sqm Of
Railway Land Of Pocket-F in Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow".**

I have examined all the above aspects and inspected the relevant records in respects of Property mentioned above and found that the Applicant/Borrower/Owner has/have a clear and marketable title over the property in question. According to the search certificate of Sub-Registrar, Lucknow Dated 04.12.2025 based on records available and existing in what so ever conditions, the property is free from all prior charges and encumbrances.

I have more than 10 years of experience in land/property related matters.

Thanking you,

Yours faithfully

Mahesh Baghel

MAHESH BAGHEL
Advocate
Regg. No 6/32/2000
Distt -AGRA

आवेदन संख्या :2202522807080

प्रमाण संख्या :22025228006658

भार मुक्त प्रमाण-पत्र
(रजि० मैनुअल के नियम 328)

श्री- मेसर्स लखनऊ बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड पुत्र- निखिल अग्रवाल तहसील लखनऊ जिला लखनऊ ने निम्नलिखित सम्पत्ति से सम्बन्धित प्रपत्रों/द्वारा प्रस्तुत भार मुद्रित प्रमाण पत्र हेतु प्राथना पत्र प्रस्तुत किया है।

सम्पत्ति का विवरण : ग्राम/मोहल्ला - विभूति खण्ड , वार्ड/परगना- चिनहट , आवासीय- प्रेसिडेंट ऑफ़ इंडिया न्यू दिल्ली फ़ॉर जनरल मैनेजर नार्थ इस्टर्न रेलवे गोरखपुर के द्वारा राकेश कुमार सक्सेना , भूमि रकबा 154581.95 वर्गमीटर पू- अपना बाज़ार पश्चिम एल०डी०ए० प्लाट उत्तर एल० डी० ए० प्लाट दक्षिण रेलवे भूमि , भूमि

मै एतद्वारा प्रमाणित करता हू कि इंडेक्स सं 02 तथा उससे सम्बन्धित सूची प्रपत्रों की तलाश दिनांक 24/12/2013 से दिनांक 24/12/2025 तक उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में की गयी जिसमें निम्नलिखित भार पाये गये

कोई भार नहीं पाया गया

दिनांक :24-12-2025

नोट - 1. इस प्रमाण-पत्र के समस्त विवरण आवेदक द्वारा दिए गए संपत्ति के ब्यौरे के आधार पर ढूँढे गए हैं। यदि रजिस्ट्रीकृत लेखपत्र में संपत्ति को आवेदक द्वारा

आवेदन में दिये गए वर्णन से किसी दूसरे ढंग से वर्णित किया गया हो तो ऐसे लेखपत्रों से प्राप्त सूचना को प्रमाण पत्र में दर्ज नहीं किया जायेगा।

2. वांछित तलाश कार्यालय द्वारा यथासंभव सावधानी के साथ किया गया है, और विभाग प्रमाणपत्र में शामिल सूचना के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

3. इस प्रमाण-पत्र में उन लेखपत्रों से सम्बंधित सूचना शामिल नहीं है जो प्रस्तुत हो चुके हैं, परन्तु जिनका आज की तारीख तक रजिस्ट्रीकरण नहीं हुआ है।

4. यह प्रमाण-पत्र किसी संपत्ति के स्वत्व का प्रमाण नहीं है।

5. 'प्रथम पक्ष' से तात्पर्य बंधक कर्ता से है और 'द्वितीय पक्ष' से तात्पर्य बन्धकी से है।

तलाशकर्ता एवं प्रमाण पत्र बनाने वाले निबन्धन लिपिक: राजेश कुमार यादव।

मिलान करने वाले निबन्धन लिपिक : आलोक सिंह।

उप निबंधक सदर द्वितीय
लखनऊ

प्रिंट करें